राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 757/2014..... जिला :जालौर

मैसर्स केवल चन्द एण्ड कम्पनी,सांचौर सी, जालौर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,जालैर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2014	**खण्डपीठ** **श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य** **श्री मदन लाल , सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री ओ.पी.माहेश्वरी एव विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थन पत्र अपीलीय प्राधिकारी(द्वितीय)वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 25.03.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–जालौर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2006–07, से 2009–10 तक के कर निर्धारण अधिनियम की धारा 24(6) 55 एवं 58 के अन्तर्गत कायम की गई मांग राशि रू. 93,215/–के विरूद्ध प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान रू. 93,215/–की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में कथन किया गया है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा विक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी के विक्रय का कारोबार किया जाता है, जिस पर निर्धारित कर वसूल किया गया है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी को अधिक दर से कर योग्य मानकर मांग सृजित की गई है, जो अनुचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने मैसर्स पार्ले प्रोडक्टस प्रा.लि. अजमेर से माल क्रय किया है। मैसर्स पार्ले प्रोडक्टस द्वारा इस अन्तर का भुगतान किया जा चुका है जिसके समर्थन में अपील निर्णय की प्रति पेश की। अतः स्थगन हेतु आवेदित राशि को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी–पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे ज्ञात होता है कि विक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी में कर दर का प्रश्न अपीलों में अंतर्ग्रस्त (involve) है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया आंशिक सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में बनता है ।अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशि की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के **तीन माह** में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया । 12.6.2014 (मदनलाल) सदस्य (जे.आर.लोहिया) सदस्य 12/6/14	